राजस्थान–सरकार,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक :– एफ10(6)प्राशिनि / ई–1 / सी–3 / दिनांक :–

विशेषाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय,
राजस्थान–जयपुर।

विषय :– संविदा आधार पर कार्मिकों लगाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन हैं कि वित्त विभाग (नियम अनुभाग), जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 1(4)वित्त / नियम / 2011 दिनांक 29.4.2011 एवं क्रमांक प. 1(4)वित्त / नियम / 2011 दिनांक 17.6.2011 में नियमित रूप से सृजित पद, जो संबंधित सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित हैं, पर सविंदा आधार पर नियुक्ति नहीं की जाकर भर्ती नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही भर्ती करने एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु भूतपूर्व कल्याण सहकारी समितियों के माध्यम से ही सेवाऐं लिये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उल्लेखनीय हैं कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में संस्था प्रधानों द्वारा निम्न पदों पर कार्मिकों को लगाये जाने के संबंध में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गयी हैं जो संस्था के कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कार्मिकों को लगाये जाने आवश्यक है, के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर भिजवाने की व्यवस्था करावें। ताकि तदनुसार संस्था प्रधानों को सूचित किया जा सकें :–

1. संस्थानों / कार्यालयों में कक्षाओं / प्रयोगशालाओं / परिसर इत्यादि की सफाई व्यवस्था एवं शौचालयों में सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पद सृजित नहीं होने के फलस्वरूप निविदाऐं अथवा एजेन्सी के माध्यम से कार्मिक लगाये जाते हैं के विरूद्ध किस प्रकार से कार्मिक लगाये जावें।

2. वर्ष 2005–2006 एवं 2009–2010 में स्थापित क्रमशः 5–5 राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में पद संविदा आधार पर सृजित किये गये थें। इन पदों पर किस प्रकार से कार्मिक लगाये जावें। (प्रति संलग्न)
3. वर्ष 2005–2006 एवं 2009–2010 में स्थापित क्रमशः 5–5 राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में सुरक्षा, सफाई व बागवानी इत्यादि सेवाऐ सेवा संविदा आधार पर प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अब इन सेवाओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जावें।
4. वर्ष 2010–2011 में स्थापित 10 राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 3 के अनुसार सुरक्षा, सफाई व बागवानी इत्यादि सेवाऐ सेवा संविदा आधार पर प्राप्त किये जाने के संबंध में किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये थे। संस्थानों की सुरक्षा, सफाई व बागवानी इत्यादि कार्य किस प्रकार सम्पादित करवायें जावें। (प्रति संलग्न)

भवदीय,

संलग्न : उक्तानुसार

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

क्रमांक :– एफ10(6)प्राशिनि / ई–1 / सी–3 / 9741–69 दिनांक :–14/7/11

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख हैं कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने तक उपरोक्त पदों पर कार्मिकों को लगाये जाने के संबंध में कार्यवाही नहीं करावें। ताकि अनावश्यक ऑडिट आक्षेप से बचा जा सकें :–

1. संयुक्त निदेशक, टी.टी.सी. एवं एल.आर.डी.सी., जोधपुर।
2. कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,.....................................(राजस्थान)
4. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, ...(राजस्थान)

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,